[redacted]

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

Fax

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

सं0 केएलबी/10/2011/एसटीजीएमपी/एटीओटीएच/आर.यू.–III

Dated 30-11-2011

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
मध्य प्रदेश सरकार,
भोपाल

विषय: श्री गौरी शंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के पटवारी श्री देवेन्द्र मर्सकोले को दिनांक 26-07-2011 को आम सभा के दौरान जातीय आधार पर अपमानित करना, भरी सभा के सामने कान पकड़ कर उठ-बैठ कराना एवं दिनांक 27-07-2011 को श्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा अनुसूचित जनजाति के श्री सुनील उइके को अपमानित करने के उपरान्त घटना की पुनर्रावृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 27-09-2011 को महानिदेशक, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल के साथ आयोग में हुई बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको संलग्न करने का निदेश हुआ है। अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में की गयी कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट आयोग को 15 दिन की अवधि में भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

के0डी0 बंसौर

(के0डी0 बन्सौर)
उप निदेशक

प्रति, कार्यवृत्त की प्रति सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

(1) पुलिस अधीक्षक, सिवनी (म.प्र.) को,
(2) पुलिस अधीक्षक, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) को,
(3) अध्यक्ष के नीजि सहायक को,
(4) एस.एस.ए. (एन.आई.सी.) को,

Tel. : 011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax : 011-24604689, 011-24624191

सं0 केएलबी/10/2011/एसटीजीएमपी/एटीओटीएच/आर.यू.-III

विषय: श्री गौरी शंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के पटवारी श्री देवेन्द्र मर्सकोले को दिनांक 26-07-2011 को आम सभा के दौरान जातीय आधार पर अपमानित करना, भरी सभा के सामने कान पकड़ कर उठ-बैठ कराना एवं दिनांक 27-07-2011 को श्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा अनुसूचित जनजाति के श्री सुनील उइके को अपमानित करने करने के उपरान्त घटना की पुनर्रावृति के संबंध में दिनांक 27-09-2011 आयोग के समक्ष हुई बैठक का कार्यवृत् ।

बैठक में उपस्थित:

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग		
1.	डा0 रामेश्वर उराँव	अध्यक्ष
2.	श्रीमती के0 कमला कुमारी	सदस्य
3.	श्री आदित्य मिश्रा	संयुक्त सचिव
4.	श्रीमती के0डी0 बन्सौर	उप निदेशक
5.	श्री हरिराम मीणा	वरिष्ठ अन्वेषक
मध्य प्रदेश शासन		
1.	श्री एस. के. राउत	पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश सरकार

विषय/मुद्दा- अनुसूचित जनजाति के अधिकारी/व्यक्तियों को मध्य प्रदेश शासन मंत्री द्वारा अपमानित करने के संबंध में

पृष्ठभूमि

अनुसूचित जनजाति के सदस्य श्री देवेन्द्र मर्सकोले, पटवारी को दिनांक 26-07-2011 ग्राम छिंदा के शाला उन्नयन कार्यक्रम में श्री गौरी शंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बैठक के दौरान जातीय आधार पर अपमानित करना, भरी सभा के सामने कान पकड़ कर उठ-बैठ कराना एवं दिनांक 27-07-2011 को श्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा जिला योजना समिति, छिंदवाड़ा की बैठक में श्री सुनील उइके एवं अन्यों को अपमानित करने के मामले पर संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा आवश्यक कार्रवाई एवं वस्तुस्थिति हेतु पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को पत्र दिनांक 12-08-2011 भेजा गया तत्पश्चात् अनुस्मरण पत्र दिनांक 09-09-2011 भेजा गया। मामले में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोग को उत्तर प्राप्त नहीं होने पर माननीय आयोग द्वारा दिनांक 20-09-2011 पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को चर्चा के लिए बुलाया।

पुलिस महानिदेशक, भोपाल द्वारा प्रकरण पर पत्र दिनांक 18-09-2011 को आयोग को भेजा गया और अवगत कराया कि प्रकरण में दोनों घटनाओं दिनांक क्रमश: 26-07-2011 एवं 27-07-2011 पर पुलिस अधीक्षक, सिवनी एवं पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने

Rameshwar Oraon

डा0 रामेश्वर उराँव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

→ 2 -

[redacted]

बताया कि मामले में अभी जांच कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई है। अतः संबंधित दोनों पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 20-09-2011 को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर मामले की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। पुलिस महानिदेशक ने यह भी अनुरोध किया कि दिनांक 20-09-2011 को मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों द्वारा प्रदेश स्तरीय आंदोलन की घोषणा के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से उनकी मुख्यालय में उपलब्धता आवश्यक है। इसलिए उक्त दिनांक को आयोग में उनकी उपस्थिति को छूट दी जाए। जांच रिपोर्ट पूर्ण हो जाने पर जांच रिपोर्ट के अवलोकन के उपरांत यदि आयोग उनकी उपस्थिति आवश्यक समझता है तो वे अगले अवसर पर उपस्थिति हो जायेंगे।

"प्रकरण में पुलिस अधीक्षक सिवनी एवं पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा दिनांक 20-09-2011 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। पुलिस अधीक्षक, सिवनी ने आयोग के माननीय अध्यक्ष को जानकारी दी कि श्री देवेन्द्र मर्सकोले पटवारी की शिकायत पर जांच की जा रही है। जांच में आया है कि श्री मर्सकोले आदिवासी पटवारी से श्री गौरी शंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री ने एक बार मिटिंग में उठबैठ लगवायी है तथा श्री मर्सकोले ने शिकायत एक दिन बाद रिपोर्ट दिनांक 27-07-2011 को थाना प्रभारी, अजाक (सिवनी) को लिखवायी गयी है। अध्यक्ष महोदय ने पुलिस अधीक्षक, सिवनी के उक्त वक्तव्य पर आपत्ति दशार्यी और कहा कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति श्री मर्सकोले के साथ हुई घटना से उनके दिमाग पर मनोवैज्ञानिक असर हुआ होगा तथा उसके बाद हिम्मत कर अपने साथ घटित दुर्व्यहार एवं मन स्थिति से उभरकर उन्होंने पुलिस को शिकायत की।

आयोग ने पाया कि आयोग द्वारा संज्ञान लेने के बाद एवं एक आदिवासी व्यक्ति की शिकायत पर डेढ़ माह से अधिक समय हो जाने के पश्चात् भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की तथा मामले में पुलिस की जांच चल रही है। भारतीय दंड संहिता के नियमों को भी मद्देनजर नहीं रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं का भी अनुपालन न करते हुए एफआईआर दर्ज नहीं करना संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होता है।

माननीय अध्यक्ष ने कहा है कि कानून के निर्देशानुसार इस मामले कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस अधीक्षक, सिवनी एवं छिंदवाड़ा को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) (x) की धारा यथा 'जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा', का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। आयोग ने अधिनियम के अध्याय 2 की धारा 4 की ओर ध्यानाकर्षण करवाया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उल्लंघन पुलिस विभाग व पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा ने अवगत कराया कि आयोग के पत्र दिनांक 12-08-2011 में श्री सुनील उइके के द्वारा लिखित संयुक्त प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा को दिनांक दिनांक 27-07-2011 दिया गया तथा सीधे मामले से संबंधित नहीं है। आयोग द्वारा पुलिस अधीक्षक,

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

Rameshwar Oraon

→ 3 -

[redacted]

छिंदवाड़ा का ध्यान संयुक्त प्रतिवेदन में शिकायत " दिनांक 27-07-2011 को दर्शाया गया कि जिला योजना समिति की बैठक में श्री गौरीशंकर जी बिसेन प्रभारी मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक कलेक्ट्रेट समाकक्ष में आयोजित की गयी थी, उक्त बैठक के दौरान श्री सुनील उइके ने ग्राम सेमरकुई और डुंगरिया के 37 आदिवासियों की जमीने गलत ढंग से अधिकृत करने का मुद्दा उठाया था जिसको लेकर माननीय प्रभारी मंत्री जी नाराज हो गये और आदिवासियों का उन्होंने अपनी भाषा में उपहास एवं आपत्तिजनक टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा केवलारी में आदिवासी अधिकारी को कान पकड़ कर माफी मंगवाया और आदिवासी समाज के लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं लेकिन उन्हें अक्ल-वकल कुछ नहीं होती और उनसे काम कराने के लिए मुझे उनकी आरती उतारना पड़ेगा तब वो कार्य करेगा।" पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा ने उपरोक्त पर कहा कि उनके द्वारा मामले में जांच की जा रही है। श्री तेजराम, विधायक के बयान ले लिए गए है तथा श्री सुनील उईके के साक्ष्य /बयान नहीं लिए जा सके क्योंकि वो नहीं मिल पाये हैं।

आयोग ने पुलिस विभाग द्वारा जांच एवं देरी को गंभीरता से लिया है। संज्ञेय अपराध की पुनरावृति श्री गौरीशंकर बिसने, मंत्री ने उस समय दोहरायी जब श्री उइके ने दिनांक 27-07-2011 को जिला योजना समिति, छिंदवाड़ा में ग्राम सुमेरकुई और डुंगरिया के 37 आदिवासियों की जमीन में गलत ढंग से अधिग्रहीत करने का मुद्दा उठाया था। श्री बिसेन मंत्री ने इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया फिर भी पुलिस विभाग, छिंदवाड़ा द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना कानून का उल्लंघन है। पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा का यह कहना कि श्री उइके के साथ जातिगत अपमान नहीं हुआ है यह सही प्रतीत नहीं होता है।

आयोग ने पुलिस अधीक्षक, सिवनी तथा पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा को सलाह दी गयी कि वे श्री मर्सकोल एवं श्री उइके की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करें। कथित दोनों मामलों में देरी किए जाने एवं नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने को आयोग ने गंभीरता से लिया है।" अतः माननीय अध्यक्ष ने पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को आयोग में दिनांक 27-09-2011 को 11.00 बजें मामले से संबंधित दस्तावेजों सहित आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की सलाह दी।

मामले में दिनांक 20-09-2011 को पुलिस अधीक्षक, सिवनी तथा पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा के साथ हुई बैठक का कार्यवृत पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश सरकार को आयोग के पत्र दिनांक 29-09-2011 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भेजा गया। प्रकरण में दिनांक 27-09-2011 को पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश सरकार को आयोग में चर्चा हेतु बुलाया गया। तदनुसार उक्त तिथि को पुलिस महानिदेशक आयोग के सक्षम उपस्थित हुए।

<u>मामले में चर्चा</u>

पुलिस महानिदेशक ने आयोग को चर्चा के दौरान सूचित किया कि श्री देवेन्द्र मर्सकोले पटवारी ने उनके साथ घटित घटना संबंधी शिकायत, जो कि अजाक पुलिस थाना में की गयी थी,

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

Rameshwar Oraon

[redacted]

की जांच एवं पूछताछ हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक को निर्देश दे दिए गए हैं तद्नुसार जांच एवं पूछताछ दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि श्री मर्सकोले आदिवासी पटवारी से श्री गौरी शंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री ने एक बार मिटिंग में उठबैठ लगवायी है तथा श्री मर्सकोले ने शिकायत एक दिन बाद रिपोर्ट दिनांक 27-07-2011 को थाना प्रभारी, अजाक (सिवनी) को लिखवायी गयी है।

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि अजाक थाने में श्री मर्सकोल के बयान लिए गए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि श्री मर्सकोले को **जातीय आधार** पर मंत्री महोदय ने सम्बोधित नहीं किया तथा इस घटना पर कानूनी राय ली गयी है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक जांच करने संबंधी आदेश में इस प्रकार के मामले में क्या, किस समय और कैसे अभियोजन की कार्रवाई की जानी है, संदर्भित है। अध्यक्ष महोदय ने पुलिस महानिदेशक को सलाह दी कि इस प्रकरण में कार्रवाई **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) (x) की धारा यथा 'जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा'**, में संदर्भित है कि किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित किया जाना संज्ञेय अपराध के अन्तर्गत है।

आयोग ने पुलिस महानिदेशक को यह भी बताया कि इस मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2) (vii)- **यथा 'लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा'** एवं **धारा 4- यथा 'कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्त्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा'** के अन्तर्गत संबंधित पदाधिकारियों द्वारा समय सीमा में कार्रवाई नहीं की गयी है। अतः अधिनियम में कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दण्ड का प्रावधान है।

आयोग ने पुलिस महानिदेशक को स्पष्ट किया कि एफआईआर के पश्चात् जांच तथा नियमों के अनुसार कोर्ट में चार्जशीट/चालान की स्थिति के समय कोर्ट का निर्णय आता है। श्री मर्सकोले एवं श्री उइके के साथ हुई घटना में श्री बिसेन, सहकारिता मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय कानूनों/नियमों को अपनाने एवं मानने के लिए हम सभी बाध्य हैं। आयोग ने अफसोस प्रकट किया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का पालन नहीं हो रहा है तथा जांच के नाम पर मामले में देरी की जा रही है।

पुलिस महानिदेशक को सलाह दी गयी कि वह श्री मर्सकोले एवं श्री उइके की शिकायत पर बयान लेकर तत्काल भारतीय दण्ड संहिता तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संबंधित धाराओं को मद्देनजर रखते हुए समय सीमा के भीतर

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

Rameshwar Oraon

→ 5 -

एफआईआर करवाए। आयोग मामले में हुई कार्रवाई की देरी को मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल तथा भारत के गृह मंत्री के संज्ञान में लाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग मामले की जांच के लिए राज्य में दौरा कर सुनवाई करेगा।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi